



## सम्पत्ति का प्रकार

## A. Type of Property

रिहायशी प्लॉटिड Residential-Plotted	औद्योगिक Industrial	शैक्षणिक संस्थायें Educational Institutions		मनोरंजन और खेलकूद प्रयोजन Recreational and Sports Purposes	
रिहायशी को-ऑप. ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी (सीजीएचएस) Residential Co-Op. Group Housing Society (CGHS)		मेडिकल संस्थायें Medical Institutions	खेती Agricultural	खतरनाक भवन Hazardous Buildings	डिस्ट्रीक्ट सेन्टर, मेट्रोपोलिटन सिटी सेन्टर और गैर-श्रेणीबद्ध व्यवसाय सेन्टर, मॉल्स District Centre, Metropolitan City Centres & Non-Hierarchical Commercial Centres Malls
रिहायशी—डीडीए फ्लैट Residential—DDA Flats		धार्मिक संस्थायें Religious Institutions	फार्महाउस Farm House	जन धर्मार्थ उपधारा 115(1)(iv) Public Charity (Section 115(1)(iv))	अन्य गैर-रिहायशी अन्य व्यावसायिक प्रयोजन Other Non-residential/Other Commercial Purposes
गेस्ट हाउस/लॉज/सराय/पेईंग गेस्ट (पीजी) हाउस Guest Houses/Lodges/Inns/Paying Guest Houses	बारातघर, प्रेक्षागृह, प्रदर्शनी हॉल, बैंकट हॉल, एसेम्बली हॉल Baratghars, Auditorium, Exhibition Halls, Banquet Halls, Assembly Halls	होटल, मोटल और रेस्टोरेन्ट Hotels, Motels and Restaurants	कोचिंग सेन्टर, Coaching Centres,	सभी गैर-रिहायशी इकाइयाँ जैसे कार्यालय/दुकान/शोरूम जो 150 वर्ग मी. या उससे अधिक क्षेत्र में हों, गोदाम जहाँ से सामान बेचा जाता हो All Shops/Offices & other Non-residential units Showrooms having Covered Area of 150 sq. mtrs. & above (including Warehouses from where goods are sold)	गैर-सरकारी अस्पताल (भारत सरकार, दिल्ली सरकार, दि.न.नि. द्वारा चलाए जाने वालों के अतिरिक्त) Non-Govt. Hospitals (other than those run by GOI, GNCTD, Municipal Corporation)
होर्डिंग्स/विज्ञापन टावर Hoardings/Advertisements/Towers	क्लब Clubs		पी वी आर, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल PVRs, Multiplexes, Cinema Halls	टेलीकॉम टावर Telecom Towers	पेट्रोल पम्प/सी एन जी स्टेशन Petrol Pumps/CNG Stations
गैर-सरकारी स्कूल (उनके अलावा जो भारत सरकार, दिल्ली सरकार, नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे हों) Non-Govt. Schools (other than those run by GOI, GNCTD, Municipal Corporations)	ब्यूटी सैलून, पार्लर, स्पा, जिम, हेल्थ क्लब, योगा सेन्टर Beauty Saloons/Parlour, Spa, gyms, Health Clubs, Yoga Centres	सरकारी कम्पनी, स्वा. निकाय, पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग (पी एस यू) संवैधानिक निगम/इकाई Govt. Company, Autonomous Body, Public Sector Undertaking (PSUs)	विभाग/पी एस यू/प्राधिकरण इत्यादि राज्य सरकार के Department/PSUs/Authorities etc. of the State Governments	हवाई अड्डा और हवाई अड्डा सम्पत्तियाँ Airports and Airports Properties	यूनियन (संघ) सम्पत्तियाँ (उपधारा 119 दिल्ली नगर निगम अधिनियम) Union Properties (Section 119 of DMC Act)

**जनता फ्लैट :-** जनता फ्लैट केवल सम्पत्ति के प्रकार के लिए लागू होगा = डीडीए रिहायशी और रिहायशी ग्रुप हाऊसिंग। यदि सम्पत्ति एक जनता फ्लैट है तो नीचे दी गई श्रेणी में लागू होगी जिस क्षेत्र में स्थित है।

**B. JANTA FLATS :** Janta Flat will be applicable only for Type of Property = Residential DDA and Residential Group Housing. If the property is a Janta Flat then the following Categories will be applicable (as mentioned below) depending on the zone in which the Janta Flat is located.

क्षेत्र जिसमें जनता फ्लैट स्थित है Zone in which Janta Flat is Located	श्रेणी Category	इकाई क्षेत्र मूल्य (₹.) Unit Area Value (Rs.)
दक्षिण और मध्य क्षेत्र South and Central Zone	ई E	270 270
पश्चिम और नजफगढ़ West and Najafgarh	एफ F	230 230
सिविल लाईन, शाहदरा (दक्षिणी), शाहदरा (उत्तरी), नरेला, रोहिणी Civil Lines, Shahdara (South), Shahdara (North), Narela and Rohini	जी G	200 200

\* यह एक जरूरी खण्ड/क्षेत्र है जिसे भरा जाना है तथा खाली छोड़ा नहीं जा सकता है।  
\* This is a mandatory section/field which has to be filled and cannot be left blank.

स्वामी का प्रकार

C. Type of Owner

एकल स्वामी Single Owner	साझेदारी फर्म Partnership Firm	संघ (भारत सरकार/संघ राज्य) निजी संघटीय व्यक्तित्व शामिल न हो Union (GOI/UT) excluding any entity having its own corporate personality	राज्य सरकार जिसमें निजी संघटीय व्यक्तित्व शामिल न हो State Govt. excluding any entity having its own corporate personality	सरकारी कम्पनियाँ/निगम/संवैधानिक इकाई/स्वायत्त इकाई जिनका अपना निगम व्यक्तित्व हो Govt. Companies/ Corporation/Statutory Body/ Autonomous Body/Entities having its own corporate personality
संयुक्त स्वामी Joint Owner	स्वायित्व फर्म Proprietorship Firm	सरकारी अस्तित्व Government Entity	कम्पनी-प्राइवेट लिमिटेड Company-Private LTD.	कम्पनी-पब्लिक लिमिटेड Company Public Ltd.
धर्मार्थ Trust	एन जी ओ NGO	पी एस यू PSUs	हिन्दू संयुक्त परिवार HUF-Hindu Undivided Family	अन्य Others

इकाई क्षेत्र मूल्य अपनी कॉलोनी की श्रेणी को ढूँढने के संदर्भ में कर निर्देशिका

D. UNIT AREA VALUES Refer to the Help/Tax Guide to find out the Category of your Colony

श्रेणी Category	ए A	बी B	सी C	डी D	ई E	एफ F	जी G	एच H
इकाई क्षेत्र मूल्य (रुपये प्रति वर्ग मी. में) Unit Area Values : (in Rs. per Sq. metre)	630	500	400	320	270	230	200	100

कर की दरें अपनी कॉलोनी की श्रेणी को ढूँढने के लिए सहायक कर निर्देशिका

E. Schedule of Taxes Refer to the Help/Tax Guide to find out the Category of your Colony

श्रेणी Category	ए A	बी B	सी C	डी D	ई E	एफ F	जी G	एच H
1. रिहायशी कर की दरें (%) Residential Rate of Tax (%)	12	12	11	11	11	7	7	7
2. विशेष गैर-रिहायशी (जैसा नीचे दी गई तालिका में) Special Non-Residential i.e. (as Listed below the table)*Note	20	20	20	20	20	20	20	20
3. विशेष गैर-रिहायशी (उनके अलावा जो (2) दिया गया है-गेस्ट हाऊस, पेईंग गेस्ट (पी जी) हाऊस Special Non-Residential (other than those at (2) above i.e. Guest Houses, Paying-guest (PG) Houses	15	15	15	15	15	15	15	15
4. गैर-रिहायशी सम्पत्तियां (जो उपरोक्त 2 और 3 में शामिल नहीं हैं। 150 वर्ग मी० के आच्छादित क्षेत्र से कम के डाक्टर-क्लीनिक व सभी औद्योगिक सम्पत्तियां) Non-Residential Properties (other than at 2 & 3 above & including industrial properties and Doctor's Clinic below covered area 150 sq.m.)	15	15	15	15	15	15	15	15

\* यह एक जरूरी खण्ड/क्षेत्र है जिसे भरा जाना है तथा खाली छोड़ा नहीं जा सकता है।  
\* This is a mandatory section/field which has to be filled and cannot be left blank.

सरकारी कम्पनी, स्वायत्त निकाय, पब्लिक सेक्टर जिम्मा/संवैधानिक निगम सम्पत्तियां इत्यादि राज्य सरकारों के विभाग/पी एस यू/प्राधिकरण इत्यादि सहित 5. <b>Govt. Company Autonomous Bodies, Public Sector Undertakings (PSUs), Statutory Corporation Properties etc., including Departments/PSUs/Authorities, etc. of the State Governments :</b>								
रिहायशी (i) Residential	15	15	15	15	15	15	15	15
गैर-रिहायशी (ii) Non-Residential	20	20	20	20	20	20	20	20
हवाई अड्डा और हवाई अड्डा सम्पत्तियां 6. <b>Airports and Airports Properties :</b>								
भूमि निर्मित आच्छादित क्षेत्र (i) Land Covered with Built-up Area	20	20	20	20	20	20	20	20
एयरक्राफ्ट चलने के लिए खुला क्षेत्र (रनवे, टैक्सीवे, ऐप्रोन, एयरक्राफ्ट पार्किंग स्टैंड) (ii) Open Area for Aircraft Movement (Runway, Taxiway, Apron, Aircraft Parking Stands)	20	20	20	20	20	20	20	20
(ii) के अलावा खुला क्षेत्र (iii) Open Area other than (ii) above	20	20	20	20	20	20	20	20
7. <b>Farm Houses :</b> <b>फार्महाऊस :</b>								
रिहायशी (i) Residential	20	20	20	20	20	20	20	20
गैर-रिहायशी (ii) Non-Residential	20	20	20	20	20	20	20	20

**नोट :- विशेष गैर-आवासीय सम्पत्तियां** अर्थात होटल, मोटल, ज्वलैरी दुकाने, सराय, लॉज, रेस्टोरेंट बार सहित या बार रहित और ए.सी. या दोनों सुविधा सहित व्यावसायिक क्षेत्रों में सभी संस्थानों जैसे :- जिला केन्द्र, व्यावसायिक केन्द्र एवं गैर-पदानुक्रम (सोपान), व्यावसायिक केन्द्रों (मास्टर प्लान-2021 के अनुसार) व्यावसायिक संस्थानों सहित मॉल, सभी दुकानें, कार्यालय तथा अन्य गैर-आवासीय इकाइयों के रूप में 150 वर्ग मी. एवं इनसे ऊपर (भण्डारगार/माल गोदाम सहित जहां माल/सामान की बिक्री होती है। नुकसानदायक भवन, पी वी आर, मल्टीप्लैक्स सिनेमा हॉल, गैर-सरकारी अस्पताल (भारत सरकार, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार, नगर निगमों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों को छोड़कर) गैर-सरकारी विद्यालय (भारत सरकार, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार और नगर निगमों द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों को छोड़कर) क्लब/बारातघर/प्रेक्षागृह/प्रदर्शनी हॉल, प्रदर्शनी/आर्ट गैलरी, बैंक्वेट हॉल, ब्यूटी सैलून अथवा पार्लर, स्पा, जिम, स्वास्थ्य क्लब, योगा सेन्टर, होर्डिंग्स/विज्ञापन, समस्त टावर, कोचिंग सेन्टर, पेट्रोल पम्प, सी एन जी स्टेशन सम्मिलित हैं।

**\*Note :- Special Non-Residential—** Hotels, Motels, Jewellery Shop, Inns, Lodges, Restaurants (with or without Bar or AC or both facilities), all establishments in Commercial Areas like District Centres, Metropolitan City Centers and Non-heirarchical Commercial Centres (as per Master Plan-2021) including commercial establishments popularly known as Malls, all Shops/Offices and other Non-residential units, Showrooms having Covered Area of **150 sq. mtrs.** and above (including Warehouses from where goods are sold). Hazardous Buildings, PVRs, Multiplexes, Cinema Halls, Non-Government Hospitals (other than those run by GOI, GNCTD, Municipal Corporations) Non-Government Schools (other than those run by GOI, GNCTD, Municipal Corporations), Clubs/Baratghars/Auditoriums/Exhibition Halls, Banquet Halls, Beauty Saloons/ Parlours, Spa, Gyms, Health Clubs, Yoga Centres, Hoardings/Advertisements, all Towers, Coaching Centres, Petrol Pumps, CNG Stations.

**\* यह एक जरूरी खण्ड/क्षेत्र है जिसे भरा जाना है तथा खाली छोड़ा नहीं जा सकता है।**  
**\* This is a mandatory section/field which has to be filled and cannot be left blank.**

उम्र अवधि घटक

F. AGE FACTOR

क्र. सं. S. No.	निर्माण की अवधि Period of Construction	उम्र घटक Age Factor	क्र. सं. S. No.	निर्माण की अवधि Period of Construction	उम्र घटक Age Factor
1.	समाप्ति अवधि 31-3-1960 से पहल Completion period—Pre 31-03-1960	0.5	4.	1-4-1980 से 31-3-1990 1-4-1980 से 31-3-1990	0.8
2.	1-4-1960 से 31-3-1970 1-4-1960 to 31-3-1970	0.6	5.	1-4-1990 से 31-3-2000 1-4-1990 to 31-3-2000	0.9
3.	1-4-1970 से 31-3-1980 1-4-1970 to 31-3-1980	0.7	6.	1-4-2000 से आगे 1-4-2000 onwards	1.0

ढांचा घटक

G. Structure Factor

ढांचा प्रकार Structure Type	घटक Factor	विवरण Description
पक्का Pucca	1 1	वजन वहन करने वाली मजबूत छत वाले भवन Buildings with load bearing roof
अर्ध-पक्का Semi Pucca	0.7 0.7	भवन साधारण छत के साथ जैसे टुकड़ी Buildings with normal load bearing roof like tukri
कच्चा Kutchha	0.5 0.5	अस्थायी सामग्री से बनी दीवारों पर टिन शेड/एसबेस्टोस चादर की छत वाले भवन Buildings with temporary material for walls & roofs including Tin Sheds/Asbestos Sheet.

प्रयोग घटक सहायता के लिए/संदर्भ में प्रयोग घटक/प्रयोग घटक की परिभाषा के लिए कर-गाईड/निर्देशिका

H. USE FACTOR Refer to the Help/Tax Guide for the Definition of the Use Factors

घटक पहचान Factor ID	सम्पत्ति का प्रयोग Use of Property	प्रयोग घटक Use Factor	घटक पहचान Factor ID	सम्पत्ति का प्रयोग Use of Property	प्रयोग घटक Use Factor
1	रिहायशी Residential	1		व्यापार – खाली (3 महीने पश्चात् दी जाने वाली अवधिनुसार सूचना) Business—Vacant (Periodical intimation after 3 months to be given)	2
2	व्यापार – स्वयं कब्जाधारी/किराएदारी Business—Self Occupied/Tenanted	4	12	औद्योगिक – खाली (3 महीने पश्चात् दी जाने वाली अवधिनुसार सूचना) Industrial—Vacant (Periodical intimation after 3 months to be given)	2
3	औद्योगिक – स्वयं कब्जाधारी/किराएदारी Industrial—Self Occupied/Tenanted	3	13	खतरनाक भवन Hazardous Buildings	4
4	सरकारी/सहायता प्राप्त/कॉलेज Govt./Govt. aided Schools/Colleges	1	14	वर्कशॉप और ऑटो रिपेयर गैरेज Workshops and Auto Repair Garages	3
5	होटल – 3 स्टार और ऊपर Hotels—3 Stars and above	10	15	रेस्टोरैन्ट Restaurants	4
6	टावर Towers	10	16	होटल – 2 स्टार तक/मोटल Hotels—upto 2 stars/Motels	4
7	होर्डिंग्स Hoardings	10	17	लॉज/सराय Lodges/Inns	4
8	जन-प्रयोग Public Purpose	1	18	गेस्ट हाउस/पेईंग गेस्ट हाउस Guest Houses/Paying Guest Houses	4
9	जन-सुविधाएं Public Utility	2	19	बैंकट हॉल Banquet Halls	4
10	धार्मिक संस्थाएं Religious Institution	1	20		
11	दूरसंचार टावर Telecommunication Tower	2			

\* यह एक जरूरी खण्ड/क्षेत्र है जिसे भरा जाना है तथा खाली छोड़ा नहीं जा सकता है।  
\* This is a mandatory section/field which has to be filled and cannot be left blank.

21	मनोरंजन केन्द्र—थिएटर, सिनेमा हॉल, एसेम्बली हॉल, सिटी हॉल, बारातघर, संग्रहालय, प्रदर्शनी हॉल, प्रेक्षागृह, तरनताल इत्यादि। खेलकूद केन्द्र—व्यायामशाला, डान्स हॉल, क्लब रूम, स्वास्थ्य खेल—कूद क्लब, गेंदबाजी स्थान, स्टेडियम, मनोरंजन प्लेघर इत्यादि Recreation Purpose—Theatres, Movie Halls, Assembly Halls, City Halls, Baratghars, Museums, Exhibition Halls, Auditorium, Swimming Pool etc. Sports Purpose—Gymnasium, Dance Halls, Club Rooms, Health and Sports Club, Bowling Alleys, Stadium, Recreation Piers etc.	3	32	धर्मार्थ इकाइयां/धर्मार्थ सोसाइटी और व्यय रहित चलाए जाने वाली मेडिकल संस्थाएं और निजी क्लीनिक/जांच केन्द्र/रेडियोलॉजी/निदानकारी लैब, निगम संस्थाएं Medical Institutions run by Charitable Bodies/Trust/Societies & not for Profit and Pvt. Clinics, Pathological/Radiology/Diagnostic Labs, Corporation Institution	2
22	वाणिज्यिक – दुकानें, गोदाम, एस.टी.डी. बूथ, थोक-व्यापारी, ट्रांसपोर्टर्स, कोल्ड स्टोरेज इत्यादि Mercantile—Shops, Warehouses, STD Booths, Wholesale Traders, Transporters, Cold Storage etc.	4	33	सरकारी मेडिकल संस्थाएं/सरकारी/स्थानीय निकाय/पार्लियामेंटकृत या राज्य विधानसभा या सरकारी मेडिकल संस्थान और एम्स के समान फीस वसूली वाली Medical Educational Institutions run by (Govt./Local Body/created by Act of Parliament or State Legislature or those charging fee equivalent to that of Govt. Medical Institutions e.g. AIIMS)	1
23	कॉलेज—सरकारी Colleges—Govt.	1	34	मेडिकल शैक्षणिक संस्थाएं/उपरोक्त 33 में नहीं आती परन्तु एम.सी.आई./ए.आई.सी.टी.ई./ए.आई.सी.वी.ई. और प्रतिव्यक्ति कर फीस वसूल नहीं करती Medical Educational Institutions (not covered in 33 above but approved by MCI/AICTE/AICVE and not charging Capitation Fee)	2
24	कॉलेज – सरकारी सहायता प्राप्त Colleges—Getting UGC grants	1			
25	कॉलेज—धर्मार्थ Colleges—Trust	2	35	मेडिकल शैक्षणिक संस्थाएं (33 और 34 की श्रेणी में नहीं हैं) Medical Educational Institutions (not covered by 33 & 34 above)	3
26	शैक्षणिक संस्थाएं – 600/- रु० प्रतिमाह फीस तक Educational Institutes—Fees upto Rs. 600 per month	1			
27	शैक्षणिक संस्थाएं – 601/- रु० से 1,200/- रु० प्रतिमाह फीस तक Educational Institutes—Fees Rs. 601 to Rs. 1200 per month	2			
28	शैक्षणिक संस्थाएं – 1,200/- रु० रु. से ऊपर प्रतिमाह Educational Institutes—Fees above Rs. 1200 per month	3	36	स्कूल – फीस 600/- रु० प्रतिमाह तक Schools—Fees upto Rs. 600 per month	1
29	शैक्षणिक संस्थाएं – सरकारी Educational Institutes—Govt.	1	37	स्कूल – फीस 601/- रु० से 1,200/- रु० प्रतिमाह तक Schools—Fees Rs. 601—Rs. 1200 per month	2
30	विश्वविद्यालय University	1	38	स्कूल – फीस 1,200/- रु. से ऊपर प्रतिमाह Schools—Fees above Rs. 1200 per month	3
31	सरकारी/स्थानीय निकाय/ई.एस.आई./सरकारी विभाग द्वारा चलाई जाने वाली मेडिकल संस्थाएं Medical Institutions run by Govt./Local Body/ESI/ Govt. Deptt.	1	39	खाली स्थान—प्रयोग में Vacant Land—in use	Relevant Use Factor संबंधित/उपयुक्त प्रयोग घटक
			40	खाली स्थान – कोई प्रयोग नहीं Vacant Land—No Use	1

कब्जा घटक (एस—स्वयं का कब्जा, आर—किराए पर)

I. OCCUPANCY FACTOR (S—Self Occupied, R—Rented)

श्रेणी Category	प्रकार Type	घटक Factor
रिहायशी – स्वयं कब्जाधारी Residential—Self Occupied	एस S	1
रिहायशी – किराए पर Residential—Rented	आर R	2
गैर-रिहायशी – स्वयं कब्जाधारी Non-Residential—Self Occupied	एस S	1
गैर-रिहायशी – किराए पर Non-Residential—Rented	आर R	1
फार्महाऊस – रिहायशी एवं कब्जाधारी Farmhouse—Residential Self Occupied	एस S	1
फार्महाऊस – रिहायशी किराए पर Farmhouse—Residential Tenanted	आर R	2

श्रेणी Category	प्रकार Type	घटक Factor
सरकारी – रिहायशी स्वयं कब्जाधारी Govt.—Residential Self Occupied	एस S	1
सरकारी – रिहायशी किराए पर Govt.—Residential Rented	आर R	1
सरकारी – गैर-रिहायशी स्वयं कब्जाधारी Govt.—Non-Residential Self Occupied	एस S	1
सरकारी – गैर-रिहायशी स्वयं रिहायशी Govt.—Non-Residential Rented	आर R	1
फार्महाऊस – गैर-रिहायशी स्वयं कब्जाधारी Farmhouse—Non Residential Self Occupied	एस S	1
फार्महाऊस – गैर-रिहायशी किराए पर Farmhouse—Non-Residential Tenanted	आर R	1

\* यह एक जरूरी खण्ड/क्षेत्र है जिसे भरा जाना है तथा खाली छोड़ा नहीं जा सकता है।  
\* This is a mandatory section/field which has to be filled and cannot be left blank.

**फार्महाऊस**

**J. FARM HOUSE**

फार्महाऊस जो निम्नलिखित क्षेत्रों के अन्तर्गत आते हैं, उसके सामने दी गई श्रेणी से इकाई क्षेत्र मूल्य लेंगे। फार्महाऊसों को 2 घटकों में बांटा/रखा गया है जैसे खाली क्षेत्र और निर्मित क्षेत्र।

Farm Houses which fall in the mentioned zones will have the Unit Area Value derived from the Category mentioned against it. Farm Houses are broken into 2 components i.e. Vacant land and the Built-up Area. Both have a different Categorization.

क्षेत्र जिसमें फार्म हाऊस स्थित है Zone in which Farm Houses is Located	निर्मित क्षेत्र के लिए श्रेणी Category for Built-up Area	खाली क्षेत्र के लिए Category for Vacant Land
South and Central Zone दक्षिणी और मध्य क्षेत्र	C सी	F एफ
West and Najafgarh पश्चिमी और नजफगढ़	D डी	G जी
Civil Lines, Shahdara (South), Shahdara (North), Narela and Rohini सिविल लाईन, शाहदरा (दक्षिणी), शाहदरा (उत्तरी), नरेला और रोहिणी	E ई	H एच

**विमुक्त/छूट प्राप्त सम्पत्तियां**

**K. EXEMPTED PROPERTIES**

S. No. क्र. सं.	Description विवरण	Factor घटक
1.	कृषिक - उपधारा 115(1)(i) Agricultural—Sec. 115 (1)(i)	0
2.	ग्रामीण आबादी में सम्मिलित खाली भूमि/भवन को मूल मालिक या कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा रिहायशी प्रयोग। लैंड पुलिंग स्कीम के अन्तर्गत आने वाले गांव केवल 200 वर्ग मी. तक आच्छादित क्षेत्र का कब्जाधारी (यथा अनुपात) को ही छूट मिलेगी Any Vacant land/building in any village abadi which is occupied for residential purpose by original owner or his Legal heir upto 200 Sq. mtrs. of covered space (on pro-rata basis)	0
3.	जनता के लिए अलग से पूजा स्थान उपधारा 115(1)(iii) Exclusively used for public worship— Sec. 115 (1)(iii)	0
4.	जन धर्मार्थ के लिए उपधारा 115(1)(iv) Used for Public Charity—Sec. 115 (1)(iv)	1

S. No. क्र. सं.	Description विवरण	Factor घटक
5.	अलग से कब्र या श्मशान भूमि के लिए भूमि और भवन उपधारा 115(1)(v) Land and Building exclusively used for burial/cremation ground—Sec. 115 (1)(v)	0
6.	विरासत भूमि और भवन (ऐतिहासिक) उपधारा 115(1)(vi) व्यवसायिक प्रयोग हो रहे क्षेत्र के सिवाय Heritage lands and buildings—Sec. 115 (1)(vi) except area under commercial use	0
7.	लड़ाई में शहीदों की विधवा द्वारा स्वामित्व/शौर्य पुरस्कार विजेता द्वारा स्थाई तौर पर स्वयं की रिहायश के लिए और कुछ भी हिस्सा किसी भी कारण से किराये पर न दिया हो उपधारा 115(1)(vii) Owned by war widow/Gallantry Award winner being permanently used for self-residence and no portion is let out for any purpose whatsoever— Sec. 115 (1)(vii)	0
8.	उपधारा 115(1)(viii) के अनुसार निगम की भूमि और भवन Land and building of Corporation as per section— Sec. 115 (1)(viii)	0

**\* यह एक जरूरी खण्ड/क्षेत्र है जिसे भरा जाना है तथा खाली छोड़ा नहीं जा सकता है।**  
**\* This is a mandatory section/field which has to be filled and cannot be left blank.**

**उप-धारा 115(1) :**

**Sub-Section 115(1) :**

- (i) खाली भूमि और भवन (रिहायशी घरों के अलावा) जो उप-नियमों में विवरणित निर्देशकों के अनुसार केवल कृषि प्रयोग में हों।
- (i) Vacant lands and buildings (other than dwelling houses) exclusively used for agricultural purposes in accordance with the guidelines prescribed in the bye-laws.
- (ii) किसी भी गांव आबादी में सम्मिलित कोई भी खाली भूमि अथवा भवन जोकि मूल मालिक/पुराने किसान अथवा उसके कानूनी उत्तराधिकारी(यों) द्वारा वर्ष के दौरान आवासीय प्रयोग के लिए अधिभोग में है, को सम्पत्ति कर के भुगतान से मुक्त रखा जाएगा।
- (ii) Any vacant land or building included in any village abadi, which is occupied for residential purpose by any original owner or his legal heir, during the year, subject to a maximum of 200 sq. mtrs. of the covered space.
- (iii) खाली भूमि या भवन या उसका हिस्सा केवल जनता के लिए पूजा करने के प्रयोग में हो।
- (iii) Vacant lands or buildings or portions thereof, exclusively used for the purposes of public worship.
- (iv) खाली भूमि या भवन या उसका हिस्सा केवल निगम की स्वीकृति से जन-धर्मार्थ में कब्जा और प्रयोग में हो जैसाकि उपनियमों में निर्दिष्ट है या मेडिकल राहत या गरीबों की शिक्षा के लिए बिना फीस वसूली के हो।
- (iv) Vacant land or buildings or portions, thereof, exclusively occupied and used, with the approval of the Corporation for the purposes of public charity as may be specified in the bye-laws or for the purposes of medical relief to, or education of, the poor, free of charge.
- (v) खाली भूमि और भवन केवल जनता के लिए कब्र और श्मशान भूमि के लिए प्रयोग में हो या अन्य स्थान जो मृतकों के निपटारे के लिए हो जैसा विधिवत् नियम में हो।
- (v) Vacant lands or buildings exclusively used for the purposes of public burial or as cremation ground, or any other place used for the disposal of the dead, duly registered under this Act.
- (vi) ऐसी ऐतिहासिक/विरासत भूमि या भवन जो विशेषतया निगम और भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा अधिसूचित हो। व्यवसायिक प्रयोग हो रहे क्षेत्र के सिवाय।
- (vi) Such heritage lands or buildings as are specifically notified for exemption by the Corporation as also such premises as are so specified by the Archeological Survey of India, except area under commercial use.
- (vii) खाली भूमि और भवन युद्ध में मारे गए की विधवाओं, सेना में शौर्य पुरस्कार विजेता, पुलिस और पैरा-मिलिट्री फोर्स और इसके साथ आम नागरिकों को जिन्हें सरकार के अन्य आदेशों द्वारा बहादुरी पुरस्कार प्राप्त हो तथा राष्ट्रपति द्वारा वार्षिक पुरस्कार दिया गया हो। बशर्ते कि निम्न शर्तों के साथ छूट प्राप्त हो :-
- सम्बन्धित परिसर स्वयं द्वारा कब्जे में हो और रिहायशी प्रयोग में हो और उसका कोई भी हिस्सा किराए या किसी भी प्रकार से नहीं दिया हो।
  - सम्बन्धित व्यक्ति के पास दिल्ली में एक से अधिक सम्पत्ति होने पर छूट केवल एक ही सम्पत्ति पर लागू होगी जिसमें वह स्थायी तौर पर रहता हो।
  - कर-छूट का लाभ केवल सम्बन्धित व्यक्ति के जीवनकाल तक सीमित होगा। तथा कर छूट पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति की विधवा को जीवनकाल तक मिलेगा। जहां पर मरणोपरान्त अवार्ड दिया गया है, उस स्थिति में कर-छूट शौर्य पुरस्कार विजेता की विधवा को मिलेगी।
- (vii) Vacant lands and buildings owned exclusively by war widows, gallantry award winners in Defence Forces Police and Paramilitary Forces as also civilians who have received bravery awards of the highest order from the Government including Annual Bravery Awards given by the President provided that :-
- the premises is in self-occupation for residential use and no portion thereof is let out for any purposes,
  - shall be applicable to only one property which is permanently used for self-residence and shall be limited to the life time of the person concerned the benefit is also granted to the widow of the gallantry award winner for the lifetime where the award has been granted posthumously,
  - in this case the exemption will be granted to the widow of the gallantry award winner.
  - And no portion is let out for any purpose what so ever.
- (viii) निगम में निहित या उसके अधीन खाली भूमि या भवन जो किराये पर या पट्टे पर नहीं दिये गये हैं और इनके सम्बन्ध में सम्पत्ति कर, यदि उद्ग्रहीत किया गया है, इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत निगम पर मुख्य रूप से उद्ग्रहीत होगा।
- (viii) Vacant lands and buildings owned by or vested in the Corporation but not leased out or rented out and in respect of which the property tax if levied, would under the provisions of this act, be leviable primarily on the Corporation.

However lands and buildings exempted from payment of tax U/s 115(1) (iv) of DMC Act, shall be levied Service Charge @75% of the amount that would have been payable as property tax for the covered space of such building or vacant land as referred to in Section 114C & 114D.

**\* यह एक जरूरी खण्ड/क्षेत्र है जिसे भरा जाना है तथा खाली छोड़ा नहीं जा सकता है।**  
**\* This is a mandatory section/field which has to be filled and cannot be left blank.**